



केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली 110067

प्रथम अपील सं. CICOM/A/P/24/00105
संदर्भ संचिका सं. CICOM/R/P/24/00332
अपीलकर्ता श्री भालचंद्र डाले

| | |
|--|---|
| आर.टी.आई. आवेदन की तिथि | 07.08.2024 |
| संबंधित केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी को आवेदन प्राप्त होने की तिथि | 14.08.2024 |
| आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि | 14.08.2024 |
| प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी | श्री एस.के. चितकारा, CPIO (DR to CR) |
| प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि | 28.08.2024 |
| प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय में प्रथम अपील आवेदन प्राप्त होने की तिथि | 09.09.2024 |
| निर्णय की तारीख | 27.09.2024 |

1. मांगी गई सूचना

अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 07.08.2024 के आर.टी.आई आवेदन के माध्यम से निम्नलिखित सूचनाएं मांगी गई थी :-

"Persuing abovecite subject due to second appeal CIC/DSCDR/A/2021/150784 – UM as well as observe of the Hearing decision on 28.10.2022 from Information Commissioner Shri Uday Mahurkar while should submitted of Non – Compliance No. 610123 on 22.02.2023. Please all collect of relavent details from preenclosed.

1. Who's the pertaining Commissioner for my Second appeal of purview and Non – Compliance online submission at present, Given Information?
2. Literally, kept had not any belavent given of the Inforamations for complainant of RTI application at 03.02.2024 – RI59551449IN and his appeal (FAA) at 03.04.2024 – RI837950399IN – Please Track India Post. Further, kindly CIC admin actions and obey to order through RTI section 20 (1) act, Further inform.
3. Have any further remain suitable consent of appellant hearing as earlist from NIC centre Burchanpura due to finalise until dues sattlements please given relavent Informaton by Commissioner.

4. If CIC is liable to encourage of my rearest to it further hence please disclose for whenever is should expect about in all total of the grant with desire perfect and secure paying moneys, too early."

2. प्रदान की गई सूचना

श्री एस.के. चितकारा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी पत्र दिनांकित 14.08.2024 के माध्यम से निम्नलिखित सूचनाएं प्रेषित की गई :-

"With reference to your RTI application dated 07.08.2024 received on 14.08.2024, it is informed that information sought by you is not clear, However, your non-compliance complaint dated 03.04.2023 has been sent to the CPIO, Delhi State Consumer Dispute Redressal Commission vide letter no. CIC/DSCDR/A/2021/150784 dated 06.06.2024. The Comments of the CPIO are awaited."

3. प्रथम अपील का आधार

"अपीलकर्ता, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी के जवाब से संतुष्ट नहीं है।"


4. निर्णय

आर. टी. आई. आवेदन, प्रदान की गई सूचना एवं प्रथम अपील का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के आर.टी.आई. आवेदन CICOM/R/P/24/00332 के प्रतिउत्तर में केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रेषित की गई सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों एवं मांगी गई सूचना के अनुसार ही है। अतः केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना तथ्यात्मक है और इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।

5. तदनुसार अपील निस्तारित की जाती है।

6. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हो तो अधिनियम की धारा 19 (3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है।

निर्णय की दिनांक : 27.09.2024



(ब्रिगेडियर विपिन चक्रवर्ती)

रजिस्ट्रार & प्रथम अपीलीय अधिकारी

दूरभाष : 011-26105021

प्रतिलिपि :

1.) केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।